



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

14 पौष, 1944 (श०)

संख्या -2 राँची, बुधवार,

4 जनवरी, 2023 (ई०)

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

26 दिसंबर, 2022/5 पौष, 1944 शक

संख्या 508/झार०/2003--लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 (1950 का 43) की धारा 13 क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्य सरकार के परामर्श से भारत निर्वाचन आयोग, दिनांक 5 दिसम्बर 2003 की अपनी अधिसूचना संख्या 508/झार०/2003 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात;

उक्त अधिसूचना के संलग्न सारणी के स्तम्भ 3 मद में, क्रम संख्या 15 देवघर के सामने, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी:-

सारणी

क्रम सं०	जिलों का नाम	जिला निर्वाचन अधिकारी
1	2	3
15	देवघर	उप विकास आयुक्त, देवघर

आदेश से,

अरविन्द आनन्द,

प्रधान सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

उपरोक्त आदेश का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

के० रवि कुमार,

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION26th December, 2022/ 5 Pausa, 1944 (Saka)

No. 508/JKD/2003--In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 13 AA of the Representation of People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India, in consultation with the Government of Jharkhand, makes following amendment in its notification No.508/JKD/2003 dated 5th December, 2003.

In column 3 of the Table appended to the said Notification, against item Sl. No. 15 Deoghar, the following entries shall be substituted:-

Table

Sl. No.	Name of Districts	District Election Officer
1	2	3
15	Deoghar	Deputy Development Commissioner, Deoghar

By Order,

ARVIND ANAND,
PRINCIPAL SECRETARY
ELECTION COMMISSION OF INDIA
